अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

1 /2010/223 मंदिर महादेव दिलवाड़ी V/s रामगोपाल वगै०

2010/00030

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री मदनलाल गुर्जर, एडवोकेट श्री ...	

मंदिर महादेव दिलवाड़ी बनाम रामगोपाल वगैरह

31.7.19

पत्रावली वासते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, 9 सपठित धारा 151 जा.दी. व धारा 5 मियाद अधिनियम पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित।

अभिभाषक उभयपक्ष की दिनांक 09.07.2019 को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपील में रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 ए जा.दी. को प्रस्तुत किया, प्रति हमे दी गई जब हमारी जानकारी में आया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 06 रामेश्वर की मृत्यु हो गयी है। जिस पर प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थी को दूरभाष पर सूचना दी कि रेस्पोडेन्ट संख्या 06 रामेश्वर का स्वर्गवास हो चुका है और उसकी कायम मुकाम की कार्यवाही करने हेतु अजमेर आयें एवं मृतक के वारिसानों के नाम, पते व मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आवें। जिस पर प्रार्थी अजमेर आया एवं अभिभाषक से सम्पर्क कर यह कायममुकाम प्रार्थना पत्र तैयार करवा कर, जानकारी से बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि न्यायहित में अपील के अबैटमेन्ट को निरस्त फरमाया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है। अतःप्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उपरोक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 06 रामेश्वर का नाम डिलीट कर उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने जवाब बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील में हमारे द्वारा दिनांक 30.05.2012 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 ए सपठित धारा 151 जा.दी. पेश कर रेस्पोडेन्ट संख्या 06 का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2012 को हो गया है, जिसके विधिक वारिसान क्रमशः कमला, महावीर, पार्वती, सम्पति सावित्री है, की जानकारी अभिभाषक अपीलांट को दी गई थी किन्तु उनकी जानकारी में होने के बावजूद भी समय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि 90 दिवस है तथा 60 दिवस उपशमन अपास्त करने की अवधि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की मृत्यु दिनांक 27.02.2012 को हो गयी जिसमें कोई विवाद नहीं है तथा रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने दिनांक 30.05.2012 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 ए जा.दी. के तहत् रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की मृत्यु की सूचना दी गई। दिनांक 30.07.2015 को कायम मुकाम कार्यवाही को रिकोर्ड पर लेने व उपशमन को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत किया। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पर्याप्त संतोष जनक करण नहीं बताया गया। 1983 आर.आर.डी. पेज 556 जो मान्नीय उच्चतम न्यायालय निर्णय, ए.आई.आर.1981 सुप्रीम कोर्ट पर आधारित हो यह तय किया गया कि समयावधि के भीतर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उपशमन के आधार पर निरस्त कर देना चाहिए।

अपील के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद बाबत् 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध हैं जिसमें वाद करण संयुक्त व अविभाजित है। इस कारण अपील मृतक के विरूद्ध उपशमन न होकर पूरी अपील उपशमन के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य पायी जाती है।

अतः अपील अपीलांट उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दिनांक 30.07.2015 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4,9 सपठित धारा 151 जा.दी. व धारा 5 मियाद अधिनियम को निरस्त किया जाता हैं एवं अपील उपशमन के आधार पर खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

31/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर